



54

न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
प्रकरण कमांक /2012 पुनरीक्षण — R. 3750-II/12

श्री जी. पी. नायक, श्रीम
द्वारा आज दि. 1-11-12 को
प्रस्तुत

क
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- श्रीमती राजबाई पत्नि बुन्देल सिंह
- 2- सागर सिंह पुत्र बुन्देल सिंह राजपूत
निवासी ग्राम छीपोन, तहसील
अशोकनगर जिला अशोकनगर म0प्र0
—आवेदकगण

- 1- म० प्र० शासन द्वारा बनाम
कलेक्ट अशोकनगर
- 2- बिनोद कुमार पुत्र लालाराम साहू
निवासी ग्राम छीपोन तहसील
अशोकनगर जिला अशोकनगर म0प्र0
—अनावेदकगण

1-11-12
जी.पी.नायक
(37)

(पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 — नायव
तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्र.क. 137 अ 12/2011-12 में पारित
आदेश दिनांक 14.6.2012 के विरुद्ध)

महोदय,

पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के कारण

यह कि आवेदक श्रीमती राजबाई पत्नि बुन्देल सिंह के नाम
ग्राम छीपोन में भूमि सर्वे नंबर 837 एंव 841 कुल किता 2 कुल रकबा
1.961 हैक्टर है जिस पर जमींदारी काल अर्थात पूर्वजों के जमाने से
खेती करती आ रही है। इसी प्रकार आवेदक सागर सिंह पुत्र बुन्देल सिंह
के नाम ग्राम छीपोन में भूमि सर्वे कमांक 836/1 रकबा 0.418 हैक्टर
जमींदारी काल अर्थात पूर्वजों के जमाने से होकर मौके पर खेती करता
आ रहा है।


यह कि अनावेदक ने अपने चाचा शैतान सिंह साहू पुत्र तोरन
साहू के नाम ग्राम छीपोन में भूमि सर्वे नंबर 858/1 रकबा 0.209 हैक्टर,
858/2 रकबा 0.342 हैक्टर तथा 857 रकबा 0.063 हैक्टर के भूमिहीन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3750-दो/12

जिला - अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर</u></p>	